



## भृष्टाचार निवारण कानून की संस्थागत एवं व्यावहारिक चुनौतियाँ : मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चम्बल संभाग के विशेष संदर्भ में

**भानुप्रिया आर्य**

शोधार्थी, विधि, जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर (म. प्र.)

**डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी**

मार्गदर्शक, सहायक प्राध्यापक (विधि),  
चौधरी दिलीप सिंह  
महाविद्यालय, भिंड (म. प्र.)

**डॉ. गणेश दुबे**

सह-मार्गदर्शक, प्राध्यापक (विधि),  
विधि अध्ययनशाला, जीवाजी  
विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)

**सारांश**

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य ग्वालियर-चम्बल संभाग में भृष्टाचार निवारण अधिनियम के संस्थागत एवं व्यावहारिक पक्षों का विश्लेषण करना है। पूर्ववर्ती अध्ययनों में प्रायः कानून की प्रभावशीलता को आंकड़ों के आधार पर मापा गया है, जबकि इस अध्ययन में कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी संस्थागत संरचना, प्रशासनिक संस्कृति, अधिकारियों के व्यवहार तथा नागरिक सहभागिता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्वालियर-चम्बल संभाग सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ प्रशासनिक संसाधनों की कमी, सीमित जन-जागरूकता तथा पारंपरिक शक्ति संरचनाएँ भृष्टाचार के निवारण में बाधक बनती हैं। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भृष्टाचार निवारण कानून केवल दंडात्मक प्रावधानों तक सीमित न होकर एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। यदि यह तंत्र प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी न हो, तो कानून का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हुए यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली, अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया, तथा न्यायिक विलंब कानून की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

**Paper Received date**

05/11/2025

**Paper Publishing Date**

10/11/2025

**DOI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484955>

**IMPACT FACTOR****5.924**

अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि ग्वालियर-चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार निवारण कानून की सफलता के लिए संस्थागत सुधार, प्रशासनिक प्रशिक्षण तथा नागरिक निगरानी को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। यह शोध नीति-निर्माताओं एवं प्रशासकों के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है।

**प्रस्तावना**

भ्रष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह न केवल प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित करता है, बल्कि नागरिकों के शासन व्यवस्था पर विश्वास को भी कमजोर करता है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ प्रशासनिक तंत्र विशाल एवं जटिल है, भ्रष्टाचार एक बहुआयामी समस्या के रूप में विद्यमान है। इसी संदर्भ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) को एक प्रमुख विधिक उपकरण के रूप में लागू किया गया। मध्यप्रदेश का ग्वालियर-चम्बल संभाग ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्र है। यह क्षेत्र लंबे समय तक प्रशासनिक उपेक्षा, सीमित औद्योगिक विकास एवं सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भ्रष्टाचार की समस्या अधिक जटिल रूप धारण कर लेती है। यहाँ भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत नैतिक पतन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संस्थागत कमजोरियों, प्रशासनिक दबावों एवं सामाजिक स्वीकार्यता से भी जुड़ा हुआ है।

यह शोध पत्र भ्रष्टाचार निवारण कानून को केवल कानूनी प्रावधानों के रूप में न देखकर, एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में विश्लेषित करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार कानून का व्यावहारिक क्रियान्वयन स्थानीय प्रशासनिक संरचना, अधिकारियों की मानसिकता एवं नागरिकों की सहभागिता से प्रभावित होता है। ग्वालियर-चम्बल संभाग के संदर्भ में यह अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कानून और व्यवहार के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंत में यह कहा

जा सकता है कि भ्रष्टाचार निवारण कानून की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब उसे संस्थागत सुधारों, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा सामाजिक जागरूकता के साथ जोड़ा जाए।

### अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

ग्वालियर-चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार की समस्या केवल व्यक्तिगत अनैतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक ढांचे, संस्थागत प्रक्रियाओं एवं व्यवहारिक प्रवृत्तियों से गहराई से जुड़ी हुई है। अधिकांश शोध भ्रष्टाचार को कानूनी या दंडात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि संस्थागत विफलताओं और व्यवहारिक कारणों पर अपेक्षर कम ध्यान दिया गया है। इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण कानून की सफलता उसके क्रियान्वयन से जुड़ी संस्थाओं—जैसे लोकायुक्त, ACB, अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण तथा न्यायालय—की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। यदि ये संस्थाएँ प्रभावी रूप से कार्य नहीं करतीं, तो कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता।

औचित्य की दृष्टि से यह शोध नीति-निर्माताओं, प्रशासकों, विधि-विदों एवं शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्थागत सुधार और प्रशासनिक व्यवहार में परिवर्तन भी अनिवार्य है।

### अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्वालियर-चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार निवारण कानून से संबंधित संस्थागत ढांचे का अध्ययन करना।
2. प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहारिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
3. जांच एवं अभियोजन प्रक्रिया में आने वाली संस्थागत बाधाओं की पहचान करना।
4. भ्रष्टाचार निवारण कानून की व्यवहारिक सीमाओं का मूल्यांकन करना।
5. संस्थागत एवं व्यवहारिक सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।



## शोध परिकल्पनाएँ

1. ग्वालियर-चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार निवारण कानून की प्रभावशीलता संस्थागत कमजोरियों के कारण सीमित है।
2. प्रशासनिक व्यवहार और कार्य-संस्कृति कानून के क्रियान्वयन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
3. अभियोजन स्वीकृति एवं न्यायिक विलंब भ्रष्टाचार नियंत्रण में प्रमुख बाधाएँ हैं।

## शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में सीमित साक्षात्कार, क्षेत्रीय अवलोकन एवं अनुभवजन्य तथ्यों को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिवेदन, शोध-पत्र, विधिक ग्रंथ तथा पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु गुणात्मक विश्लेषण पद्धति को प्रमुख रूप से अपनाया गया है।

## समीक्षा साहित्य

भ्रष्टाचार एवं उसके निवारण से संबंधित साहित्य का अवलोकन यह दर्शाता है कि भारत में अधिकांश अध्ययन कानून के दंडात्मक पक्ष पर केंद्रित रहे हैं, जबकि संस्थागत संरचनाओं एवं प्रशासनिक व्यवहार पर अपेक्षर कम शोध उपलब्ध है। विभिन्न विद्वानों ने यह रेखांकित किया है कि भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत आचरण की समस्या नहीं है, बल्कि यह संस्थागत विफलताओं, कमजोर निगरानी तंत्र तथा प्रशासनिक संस्कृति का परिणाम भी है।

कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि लोकायुक्त एवं भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं की सीमित स्वायत्तता उनके प्रभावी कार्य में बाधक बनती है। अन्य शोधों में अभियोजन स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया और न्यायिक विलंब को भ्रष्टाचार नियंत्रण में प्रमुख अवरोध माना गया है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में किए गए सीमित अध्ययनों से



यह संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा संसाधनों की कमी कानून के प्रभाव को कमजोर करती है।

यह शोध पूर्ववर्ती साहित्य से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर-चम्बल संभाग में संस्थागत एवं व्यवहारिक कारकों के संयुक्त प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### सैद्धांतिक ढाँचा

प्रस्तुत अध्ययन का सैद्धांतिक आधार मुख्यतः संस्थागत सिद्धांत (Institutional Theory) एवं प्रशासनिक व्यवहार सिद्धांत (Administrative Behavior Theory) पर आधारित है। संस्थागत सिद्धांत के अनुसार, किसी भी कानून की प्रभावशीलता उस संस्थागत संरचना पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से उसका क्रियान्वयन होता है। यदि संस्थाएँ कमजोर, अपारदर्शी या राजनीतिक रूप से प्रभावित हों, तो कानून अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता।

प्रशासनिक व्यवहार सिद्धांत यह मानता है कि अधिकारियों के निर्णय केवल नियमों से नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता, कार्य-संस्कृति, प्रोत्साहन एवं दंड प्रणाली से भी प्रभावित होते हैं। ग्वालियर-चम्बल संभाग के संदर्भ में यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ प्रशासनिक व्यवहार पर सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

### ग्वालियर-चम्बल संभाग में संस्थागत चुनौतियाँ

ग्वालियर-चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार निवारण कानून के क्रियान्वयन में अनेक संस्थागत चुनौतियाँ विद्यमान हैं। लोकायुक्त एवं ACB जैसी संस्थाओं को सीमित मानव संसाधन, तकनीकी सुविधाओं की कमी तथा प्रशासनिक निर्भरता का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया बहु-स्तरीय एवं समय-साध्य होने के कारण मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव नहीं हो पाता।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती संस्थागत समन्वय की कमी है। जांच एजेंसियों, अभियोजन विभाग एवं न्यायालयों के बीच प्रभावी समन्वय का अभाव मामलों को कमजोर बनाता है। परिणामस्वरूप दोषसिद्धि दर कम रहती है, जिससे कानून का निवारक प्रभाव घट जाता है।

**प्रशासनिक व्यवहार एवं भ्रष्ट संस्कृति**

प्रशासनिक व्यवहार भ्रष्टाचार की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्वालियर-चम्बल संभाग में यह देखा गया है कि कुछ विभागों में अनौपचारिक नियम, पारस्परिक समझौते तथा सत्ता संरचनाएँ औपचारिक कानून से अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार एक 'सामान्य व्यवहार' के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

भ्रष्ट संस्कृति का विकास तब होता है जब दंड की संभावना कम और लाभ की संभावना अधिक होती है। यदि अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि संस्थागत संरक्षण उपलब्ध है या मामलों का परिणाम अनिश्चित रहेगा, तो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बनी रहती है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि प्रशासनिक व्यवहार में परिवर्तन किए बिना केवल कानूनी प्रावधानों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव नहीं है।

**ग्वालियर-चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के संसाधन एवं मानव शक्ति**

संस्था	कर्मचारी संख्या	तकनीकी संसाधन	वर्ष 2024 में दर्ज मामले
लोकायुक्त संगठन	45	सीमित कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर	120
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)	38	केवल बेसिक तकनीकी	95
अभियोजन स्वीकृति प्राधिकरण	15	कार्यालय मशीनरी	80

स्रोत : लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन (2018-2024),

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के अभिलेख,

## केस स्टडी (Case Studies)

**केस स्टडी-1: प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण जांच में विलंब :** ग्वालियर जिले में एक स्थानीय अधिकारी के द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में रिश्तत की मांग की गई। शिकायत लोकायुक्त में दर्ज हुई। प्रारंभिक जांच में आरोपी को ट्रेप किया गया, परंतु प्रशासनिक हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण मामला न्यायालय में लंबित रहा।

**केस स्टडी-2: न्यायिक विलंब और भ्रष्ट संस्कृति :** मुरैना जिले में एक स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी ने चिकित्सा उपकरण खरीद में अनुचित लाभ लिया। लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया, परंतु अभियोजन स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया और न्यायिक विलंब के कारण दोषसिद्धि देर से हुई।

## निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्वालियर-चम्बल संभाग में भ्रष्टाचार निरोधक कानून का अस्तित्व कानूनन मजबूत है, परंतु संस्थागत और व्यवहारिक कारणों से प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। संसाधनों की कमी, अभियोजन स्वीकृति में विलंब, प्रशासनिक दबाव और भ्रष्ट संस्कृति कानून के निवारक प्रभाव को सीमित करती हैं।

## सुझाव

1. लोकायुक्त और ACB को पर्याप्त मानव शक्ति एवं तकनीकी संसाधन प्रदान किए जाएँ।
2. अभियोजन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया जाए।
3. भ्रष्टाचार नियंत्रण में प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा को प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
4. नागरिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
5. क्षेत्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएँ।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार (1988, संशोधित 2018). *भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
2. भारत सरकार (2005). *सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005*. नई दिल्ली: भारत सरकार।



## International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

3. लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश (2018–2024). *वार्षिक प्रतिवेदन*. भोपाल: मध्यप्रदेश शासन।
4. शर्मा, रामकुमार (2019). *भारत में भ्रष्टाचार: कारण एवं निवारण*. नई दिल्ली: राज पब्लिकेशंस।
5. वर्मा, सुनीता (2020). *प्रशासनिक सुधार और सुशासन*. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
6. सिंह, अरुण कुमार (2018). *भारतीय लोक प्रशासन में पारदर्शिता*. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
7. मिश्रा, ओमप्रकाश (2021). *भ्रष्टाचार निरोधक कानून: एक समीक्षात्मक अध्ययन*. नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस।
8. यादव, के.एन. (2022). "भ्रष्टाचार नियंत्रण में लोकायुक्त की भूमिका". *भारतीय प्रशासनिक अध्ययन पत्रिका*, 15(2), 45–58।
9. त्रिपाठी, विनोद (2020). "सूचना का अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही". *समकालीन विधि समीक्षा*, 8(1), 73–89।
10. मध्यप्रदेश शासन (2023). *भ्रष्टाचार निवारण एवं लोकायुक्त मार्गदर्शिका*. भोपाल: गृह विभाग।